न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान ''न्याय आपके द्वार'' शिविर–2017

अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत साली, तहसील दूदू

शिविर प्रभारी – श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 07/2017

प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 13/02/2017

निर्णय दिनांक : 16/05/2017

भवरलाल पुत्र श्री पुरूषोतम जाति ब्राहम्ण निवासी साली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0

–– प्रार्थी

बनाम

1. ब्रंहमानन्द पुत्र छीतर जाति ब्राहम्ण निवासी साली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
2. गोविन्द पुत्र छीतर जाति ब्राहम्ण निवासी साली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
3. राजाराम पुत्र रामजीवण जाति ब्राहम्ण निवासी साली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
4. गोपाल पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी साली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
5. ओमप्रकाश पुत्र राधेश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी साली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
6. गोविन्द पुत्र जानकीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी साली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
7. मदन पुत्र जानकीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी साली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
8. बिरदीचन्द पुत्र गणेश जाति ब्राहम्ण निवासी साली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
9. अलादीन खां पुत्र करीम खां जाति मुसलमान निवासी साली तहसील दूदू जिला जयपुर राज0
10. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

–– अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

प्रार्थना–पत्र बाबत पत्थरगढी
(अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम–1956)

उपस्थिति – श्री भंवरलाल जैन
श्री विनोद कुमार जैन
श्री राधेश्याम लक्षकार
श्री नानूराम धाभाई
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 के विरूद्ध
एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 16/05/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम 1956 बाबत करवाये जाने पत्थरगढी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1539 रकबा 1.52 हैक्टेयर, कुल किता 01 कुल रकबा 1.52 हैक्टेयर वाके ग्राम साली, तहसील दूदू में स्थित है, जिसके प्रार्थी मुताबिक जमाबंदी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एंव मौके पर काबिज काश्त हैं। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 विवादग्रस्त आराजीयात के पडौसी काश्तकार हैं। प्रार्थी के खेत की मेर सींव के सम्बन्ध में आये दिन विवाद होते रहते हैं। पडौसी खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 प्रार्थी की आराजी को लेकर विवाद रखते हैं। आये दिन मेर सींव को लेकर पडौसी खातेदार काश्तकारों से विवाद नहीं हो इसलिये प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी की पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। इसलिये उक्त आराजी की पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है ताकि सीमा सम्बन्धी विवाद भी समाप्त हो सकें। तहसीलदार साहब, तहसील दूदू के आदेश कमांक/एल.आर./16/1930 व 1931 दिनांक 15/06/2016 की पालना में पटवार हल्का द्वारा दिनांक 28/06/2016 को सीमाज्ञान करवाये जाने के पश्चात भी अप्रार्थीगण सीमाज्ञान को मानने को तैयार नही हैं तथा सीमा को लेकर आये दिन विवाद उत्पन्न करते रहते है, जिससे प्रार्थी को यह प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

सादर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपर्युक्त आराजीयात वर्णित प्रार्थना–पत्र के पैरा संख्या 1 की सीमाओं पर पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार दूदू को प्रदान करें तथा आवश्यकता पडने पर पालना हेतु पुलिस इमदाद दिलवायी जावें, जिस बाबत थानाधिकारी नरैना को लिखा जावें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी।

दिनाक 16/05/2017 को पत्रावली राजस्व कैम्प "न्याय आपके द्वार" कैम्प अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत साली में पेश हुई, जिसमें प्रार्थी एवं पैरोकार कैम्प में उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 ल. 9. बावजूद तामिल के उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी तथा पैरोकार राज की बहस में सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात सीमाज्ञान रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 449 में खसरा नम्बर 1539 का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं एवं अप्रार्थी संख्या 1 ल. 9 पडौसी खातेदार होना साबित होते हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी का तहसीलदार मौजमाबाद के आदेश क्रमांक/एल.आर./2016/1930 व 1931 दिनांक 15/06/2016 की पालना में पटवार हल्का द्वारा दिनांक 28/06/2016 के द्वारा सीमाज्ञान किया जा चुका हैं, चूंकि प्रार्थी अपनी आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है अप्रार्थी संख्या 1 ल. 9 की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया तथा न ही कोई आपत्ति पेश की गयी है, इसलिये उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी है तथा तहसीलदार दूदू ने जो जवाब पेश किया है, उसमें भी उक्त आराजी की पत्थरगढी किये जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नही जताई है, ऐसी स्थिति में विवादित आराजी की पत्थरगढी की कार्यवाही किया जाना उचित होगा। इस प्रकार अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता हैं, जिससे प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम–1956 स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम–1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दूदू को आदेश दिया जाता है कि आराजी खाता संख्या 449 के आराजी खसरा नम्बर 1539 कुल किता 01 कुल रकबा 1.5200 हैक्टेयर वाके ग्राम साली, तहसील दूदू, जिला जयपुर में स्थित है, का सीमाज्ञान कर सीमाओं पर पत्थरगढी की कार्यवाही करें। उक्तानुसार तहसीलदार दूदू निर्णय की पालना करावें तथा आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद स्वंय प्राप्त करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/5/17 को मजमे आम अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत साली में सुनाया गया।

मुद्रा

शिविर प्रभारी / उपखण्ड अधिकारी
दूदू जिला जयपुर (राज0)

Scanned by CamScanner